रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2013/फाल्गुन 30, 1934
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2013/PHALGUNA 30, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013

सा.का.नि. 181(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि 230(अ), दिनांक 20 मार्च, 2012 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल, अध्यक्ष

(ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी, सदस्य

(iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2013 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. यू. 11016/01/2011-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—यह अधिसूचना सा.का.नि. 230(अ), दिनांक 20 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 20 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2013

G.S.R. 181(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 230(E), dated 20th March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul, Chairperson

(ii) Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi, Member

(iii) Hon'ble Mr. Justice Suresh Kait, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2013.

[F. No. U. 11016/01/2011-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

Foot Note.—The Notification G.S.R. 230(E), dated 20th March, 2012 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 20th March, 2012.

1191 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.